राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. 22/Review (RJ)/2023-Coord. **Dated: 08.06.2023**

सेवा में,

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर – 302005.
(राजस्थान).
Email: csraj@rajasthan.gov.in

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा बैठक दिनांक 23.03.2023 के कार्यवृत ।

महोदय / महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों की काम-काज की समीक्षा बैठक दिनांक 23.03.2023 को आयोजित की गयी थी, के कार्यवृत संलग्न करने का निर्देश हुआ हैं ।

2. अतः आपसे निवेदन हैं की आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों पर की गयी / की जाने वाली कार्यवाई के साथ संबंधित सूचना को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर भेजने का कष्ट करें जिसे माननीय आयोग के समक्ष रखा जा सके।

भवदीय,
(आर. एस. मिश्र)
अनुसंधान अधिकारी (एस एस डब्ल्यू)
Tel: 011-24657272, 24641640

प्रति आवश्यक कार्यवाई हेतु :

प्रमुख सचिव,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार,
5213, मुख्य भवन, शासन सचिवालय,
जयपुर (राज.),
Email: ps-tad@rajasthan.gov.in

Copy for information to:

(i) PS to Hon'ble Chairperson, NCST
(ii) PS to Hon'ble Member, NCST
(iii) PS to Secretary, NCST
(iv) Consultant to Joint Secretary, NCST
(v) NIC, for uploading on the website of the Commission (copy of the minutes of the Review Meeting is enclosed)
(vi) Research Officer, Regional Office, NCST Jaipur (copy of the minutes of the Review Meeting is enclosed).

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा हेतु दिनांक 23.03.2023 को जयपुर में आयोजित बैठक पर संविधान के अनुच्छेद 338क (5)(e) के अंतर्गत रिपोर्ट एवं अनुसंशाए।

[File No. 22/Review(RJ)/2023-Coord.]
Date of Review Meeting: 23.03.2023 at Jaipur, Rajasthan

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत किया गया हैं। इसे अन्य बातों के साथ साथ संविधान के अंतर्गत अथवा तत समय लागू किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना और इन सुरक्षणों के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर आयोग ठीक समझें, माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता हैं। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति अपनी सभी रिपोर्टो को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हैं तो उसे अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित हैं जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध हैं, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो उसे अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

2. संवैधानिक आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 22.03.2023 को जिला सिरोही में जिला प्रशासन के साथ आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की। तत्पश्चात, दिनांक 23.03.2023 को श्री हर्ष चौहान, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की। माननीय

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

अध्यक्ष महोदय के साथ आयोग के माननीय सदस्य, श्री अनंत नायक, श्रीमती अलका तिवारी, सचिव, भारत सरकार, , श्री के ताऊथांग, संयुक्त सचिव, श्रीमती मिरांडा इन्गुदाम, निदेशक, श्री आर एस मिश्र, अनुसंधान अधिकारी व प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय, एन सी एस टी, जयपुर तथा श्री पी के परिदा, आयोग के माननीय सदस्य के निजी सचिव भी राजस्थान राज्य के प्रवास पर थे।

3. राज्य की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की सूची संलग्नक – 1 पर है।

4. राज्य की समीक्षा बैठक से पूर्व दिनांक 23.03.2023 को राजस्थान के जनजातीय समुदायों के जन प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राज्य की अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हर्ष चौहान की अध्यक्षता में बैठक की गयी। बैठक प्रारंभ होने से पूर्व, श्री के ताऊथांग, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने, आयोग के गणमान्य व्यक्तियों का तथा अधिकारियों का परिचय दिया एवं बैठक में उपस्थित अनुसूचित जनजातियों के जनप्रतिनिधियों से स्वयं का परिचय देने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने अपना-अपना परिचय दिया।

5. बैठक में श्री रामकेश मीना, विधायक गंगापुर सिटी; श्री एसी मीणा; श्री कन्हैया लाल मीना, पूर्व विधायक, श्री कांतिलाल मीणा, पूर्व विधायक, श्री राजपाल मीणा, श्री बाबूलाल मीना, श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री दीपेश (राजस्थान विश्वविद्यालय); श्री मोहन लाल मीना; श्री मांगेलाल गरासिया, श्री रघुवीर मीना (पूर्व संसद सदस्य); श्री ताराचंद भगौरा (पूर्व संसद सदस्य), श्रीमती कीर्ति सिंह भील; श्री गोपाल मीना, विधायक व श्री टेकराम मीना आदि जनप्रतिनिधियों, विधायक / पूर्व विधायकों, पूर्व संसद सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए चलायी जा रही योजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण, विकास तथा सुरक्षा जैसे प्रकरणों पर अपनी-अपनी बात रखी। बैठक में उठाये गए मुख्य बिंदु निम्नवत हैं : -

(i) राज्य के प्रमुख संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, उन्हें बढाया जाये।

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

(ii) प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाये।

(iii) अनुसूचित जनजातियों की भूमियों पर अनाधिकृत / जबरदस्ती कब्ज़ा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाई करके, भूमि, भूस्वामियों को वापिस दिलायी जाये।

(iv) राज्य में भोले भाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जिनको जेल के अंदर रखा गया हैं के लिए, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बनायी जाये।

(v) राज्य में जो अनुसूचित जनजातियों के गाँव, जो वन्यजीव अभ्यारण्य में बसे हुए हैं उनके लिए मूलभूत सुविधाये उपलब्ध करायी जाये।

(vi) पूर्वी राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था की जाये।

(vii) वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिन दावों को निरस्त किया गया है उन पर पुनः विचार करके अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टा दिया जाये।

(viii) राज्य के विभिन्न विभागों में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं हैं उसे सही ढंग से लागू किया जाये।

(ix) राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा हैं।

(x) राज्य सरकार ने अन्य विभिन्न समुदायों के विकास के लिए "बोर्ड" का गठन किया हैं। अतः मीना समुदाय के लिए भी "जैमीनेष बोर्ड" का गठन किया जाए।

(xi) जनजातीय परामर्श परिषद् "TAC" की मीटिंग समय पर करायी जाये।

(xii) अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति के आदान प्रदान के लिए एक नई योजना बनायी जाये जिससे वो दूसरे सुदूर राज्यों के अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति को समझ सके।

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

(xiii) प्रतापगढ़ एवं कोटा जिलें में निवासरत सहरिया समुदाय के लोगों को वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि आबंटन सुनिश्चित की जाये।

(xiv) सहरिया अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा के लिए आवासीय छात्रावास का प्रबंध किया जाये।

(xv) राज्य में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के सुदूर गाँव / फलियां / धाणी को सड़क मार्ग से जोड़ा जाये।

(xvi) अनुसूचित क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जाये।

(xvii) अनुसूचित जनजातियों के लिए फसल बीमा योजना को नि:शुल्क किया जाये।

(xviii) राजस्थान के दक्षिण भाग से अनुसूचित जनजातियों में से कोई IAS / IPS नहीं हैं अतः राज्य सरकार द्वारा कोचिंग की व्यवस्था की जाये।

(xix) उदयपुर के एम एल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति से कोई भी प्रोफेसर नहीं हैं।

(xx) आदिवासी सेवा संघ उत्थान के लिए महाराणा द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज़मीन को अवैध कब्ज़े से मुक्त कराया जाये।

(xxi) काथोडी, सहरिया तथा भील अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए बोर्ड बनाया जाये।

(xxii) मारवाह जनजातीय विकास बोर्ड बनाया जाये।

(xxiii) राज्य के पश्चिम भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास की स्थापना की जाये तथा उपलब्ध छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को वार्डन के रूप में नियुक्त किया जाये।

(xxiv) Kisan Credit Card (KCC) ज़ारी करने के मानकों को सरल बनाया जाये।

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

(xxv) राज्य के कारागारों में विचाराधीन अनुसूचित जनजाति के कैदियों के लिए Councillors की नियुक्ति की जाये।

(xxvi) राज्य में EMRS (Eklavya Modal Residential School) की स्थापना जनसँख्या अनुपात के हिसाब से की जाये।

6. इसके पश्चात् दिनांक 23.03.2023 को अपराहन में, श्री हर्ष चौहान, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य की मुख्य सचिव, श्रीमती उषा शर्मा तथा विभागों के प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख वन संरक्षक अधिकारी, सचिवों, आयुक्तों के साथ राज्य / केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गयी। मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों द्वारा आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य एवं सचिव महोदया का स्वागत किया गया। श्री के. ताऊथांग, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने, आयोग के गणमान्यों तथा अधिकारियों का परिचय कराया तथा राज्य के उपस्थित अधिकारियों से स्वयं का परिचय देने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने स्वयं का परिचय दिया। आयोग की सचिव, श्रीमती अलका तिवारी महोदया ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्त्तव्य, अधिकारों तथा कार्य करने की प्रक्रिया को संक्षेप में राज्य सरकार के अधिकारियों को अवगत कराया।

7. आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक की शुरुआत में, राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार (PESA), वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA), सामुदायिक वनाधिकार, पुनर्वास (Rehabilitation and Resettlement), अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार के निवारण हेतु, STC, स्वास्थ्य तथा शिक्षा से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल देने की आवश्यकता है।

राज्य की मुख्य सचिव महोदया ने आयुक्त, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में Power-Point प्रस्तुतीकरण करने का आग्रह किया। Power-Point प्रस्तुतीकरण में राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान की गयी। Power-Point प्रस्तुतीकरण के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं:-

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

(i) पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा Tribal Sub Plan के अंतर्गत State Plan के मुकाबले खर्च का प्रतिशत घटता जा रहा हैं।

(ii) राज्य में छात्रावासों की संख्या 220 बतायी गयी जिसमे 159 बालकों के लिये तथा 61 बालिकाओं के लिए, जबकि महाविद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावास की संख्या 14 बतायी गयी जो कि छात्राओं के लिए हैं। छात्रों के लिए महाविद्यालय स्तरीय अनुदानिक छात्रावास एक बताया गया।

(iii) राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में कुल कर्मियों की संख्या 7692 बतायी गयी हैं जिनमे से कार्यरत मात्र 5437, शेष पद रिक्त हैं कनिष्ट विशेषज्ञों के अधिकांश पद रिक्त हैं।

(iv) अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2023 (माह फरवरी तक) अनुसूचित जनजातियों के मामलों में पुलिस द्वारा जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या 634 बतायी गयी, जो कि चिंताजनक हैं।

(v) PESA के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के अध्यक्ष पदों के सभी पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, सूचित किया गया।

(vi) राज्य सरकार द्वारा सहरिया Particular Vulnerable Tribal Groups के उत्थान के लिए चलायी जा रही योजनाओं के बारे में सूचित किया। जिसमे बताया गया कि प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 250 मिलीलीटर देसी घी, 500 ग्राम दाल एवं 500 मिलीलीटर सोया तेल वितरण किया जाता हैं। जिससे 117750 लोग प्रतिमाह लाभान्वित होते हैं।

(vii) राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जल उत्थान सिंचाई योजना के अंतर्गत बताया गया, कि लाभान्वित कृषक 8509 तथा सिंचित क्षेत्र 6074.05 हेक्टेयर हैं।

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

(viii) वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत हक पत्रों का वितरण 48524 तथा सामुदायिक वनाधिकार हक पत्रों का वितरण 602 बताया गया। इसके अलावा निरस्त दावों का पुनः रिव्यु कर हक पत्र ज़ारी 4751 बताया गया। वनाधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति और प्रक्रिया का अध्ययन करवाया गया हैं।

(ix) वन धन विकास योजना के अंतर्गत राज्य के 8 जिलों में 479 वन धन विकास केन्द्रों का गठन किया हैं।

(x) राज्य में 482 जनजाति आश्रम छात्रावासों / आवासीय विद्यालयों की मोनिटरिंग हेतु इन्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनमे से 321 विद्यालयों में कार्य पूर्ण हो चुका हैं।

8. उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार ने आयोग द्वारा भेजी गयी प्रश्नावली के उत्तर में सूचना उपलब्ध करायी जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं:-

(i) पिछले तीन वित्तीय वर्ष में विशेष केंद्रीय सहायता में प्राप्त राशि का आबंटन की उपयोग की प्रतिशतता में निरंतर कमी तथा अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त राशि का आबंटन एवं उपयोगिता की प्रतिशतता में वर्ष 2021-22 में कमी बतायी गयी।

(ii) राज्य में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 52.80 प्रतिशत बतायी गयी। राज्य में शिक्षा के विस्तार हेतु कार्य करने की आवश्यकता हैं।

(iii) अनुसूचित जनजातियों को मकान / मकानों के लिए स्थल आबंटन करने में 3.37 प्रतिशतता बतायी गयी।

(iv) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण के कुल 89 प्रकरण बताये गए।

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

(v) वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 114032 आवेदन प्राप्त किये जिनमे से अस्वीकृत 63216 बताये गए। लंबित प्रकरण की संख्या 1690 बतायी गयी जिनमे से 1594 व्यक्तिगत तथा 96 सामुदायिक वनाधिकार के बताये गए।

(vi) राज्य में National Food Security Act (NFSA) के अंतर्गत ज़ारी कुल कार्डों की संख्या 10578269 बतायी गयी हैं।

(vii) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में PESA के अंतर्गत किये गए आरक्षण का प्रावधान का पालन किया जा रहा है।

(viii) राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए स्थापित संस्थान:- एम एल वर्मा टी आर आई, उदयपुर एवं अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में बताया गया।

9. आयोग ने राज्य समीक्षा के दौरान पाया कि राज्य प्रशासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में PESA के क्रियान्वयन के लिए किये जा रहे प्रयास, वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत विशेष सामुदायिक वनाधिकार अभियान तथा सरलीकरण हेतु FRA Online MIS Portal का लागू किया जाना, वन धन विकास योजना तथा सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम, राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

10. आयोग की संस्तुतियां:-

i. STC के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए दिशा निर्देश बनाये जाये।

ii. राज्य सरकार द्वारा PESA के क्रियान्वयन के लिए बनाये गए नियमों की प्रति उपलब्ध करायी जाये।

iii. राज्य में बालिकाओं के लिए छात्रावासों में Warden के रिक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्तियाँ की जाये तथा उनमे अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाये।

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

iv. राज्य में अनुसूचित जनजातियों में Sickle Cell anemia बीमारी से ग्रसित लोगों का डाटा उपलब्ध कराया जाये।

v. पिछले तीन वर्षों में राज्य में सिलिकोसिस से प्रभावित लोगों का डाटा तथा सिलिकोसिस को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गए / उठाये जाने वाले कदमों की सूचना दी जाये।

vi. राज्य में स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही हैं की सूचना दी जाये।

vii. राज्य के प्रत्येक विभाग में बनाये गए Roster को परिचालित एवं उसे online portal पर उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाई की जाये।

viii. अनुसूचित क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, किये जा रहे उपायों की सूचना दी जाये।

ix. राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अपनाए गए Roster की प्रति उपलब्ध करायी जाये।

x. जिला खनिज निधि के अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोग हेतु, वर्तमान नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता हैं। क्योंकि, जिला खनिज निधि के उपयोग का अधिकार उसी जिले के निवासरत लोगों के लिए किया जाना चाहिए।

xi. सामुदायिक वन स्रोत अधिकार के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध नीति की प्रति उपलब्ध करायी जाये, यदि नीति नहीं हैं तो बनाने पर विचार किया जाये।

xii. वनाधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति और प्रक्रिया पर किये गए अध्ययन की प्रति उपलब्ध करायी जाये।

xiii. पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण के कुल 89 प्रकरण बताये गए हैं उनकी मामले वार सूचना प्रदान की जाये।

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

xiv. अनुसूचित जनजातियों की भूमियों पर अनाधिकृत / जबरदस्ती कब्ज़ा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाई करके, भूमि भूस्वामियों को वापिस दिलाने हेतु कार्यवाई करने की आवश्यकता है।

xv राज्य में भोले भाले अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, जिनको जेल के अंदर रखा गया हैं, के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बनायी जाये।

xvi. राज्य में जो अनुसूचित जनजातियों के गाँव, वन्यजीव अभयारण्य में बसे हुए हैं उनके लिए मूलभूत सुविधाये उपलब्ध करायी जाये।

xvii. वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन दावों को निरस्त किया गया हैं उनपर पुनः विचार करके अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टा दिया जाये।

xviii. अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2023 (माह फरवरी तक) अनुसूचित जनजातियों के मामलों में पुलिस द्वारा जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या 634 बतायी गयी। लंबित प्रकरणों का स्वाभाव किस प्रकार का है बताया जाये।

xix. जनजातीय परामर्श परिषद् "TAC" की पिछली दो मीटिंगों के कार्यवृत उपलब्ध कराये जाये।

xx. राज्य के विभिन्न विभागों में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं हैं उसे सही ढंग से लागू किया जाये।

xxi. अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति के आदान प्रदान के लिए एक नई योजना बनायी जाये जिससे वो दूसरे सुदूर राज्यों के अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति को समझ सके।

xxii. राजस्थान के दक्षिण भाग से अनुसूचित जनजातियों में से कोई IAS / IPS नहीं हैं अतः राज्य सरकार द्वारा कोचिंग की व्यवस्था की जाये।

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

xxiii. Kisan Credit Card (KCC) ज़ारी करने के मानकों को सरल बनाया जाये I

xxiv. राज्य में National Food Security Act (NFSA) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के परिवारों को ज़ारी किये गए कार्डों की संख्या की सूचना उपलब्ध करायी जाये I

xxv. राज्य में EMRS (Eklavya Modal Residential School) की स्थापना जनसँख्या अनुपात के हिसाब से की जाये I

xxvi. अनुसूचित क्षेत्रों तथा राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में सिंचाई के संसाधन जुटाने / बनाने के लिए त्वरित कार्यवाई करने की आवश्यकता है क्योंकि अनुसूचित जनजातियों का कृषि जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है I

हर्ष चौहान / HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष / Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
लोकनायक भवन / Loknayak Bhawan
नई दिल्ली / New Delhi

156/152

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

List of participants of the Review Meeting with the Chief Secretary, Principal Secretaries and Ors. Sr. Officers of Govt. of Rajasthan held on 23.03.2023 at Jaipur under the Chairmanship of Shri Harsh Chouhan, Hon'ble Chairperson, NCST, New Delhi regarding implementation of various constitutional safeguards provided to STs in State.

	Name and Designation	Address & Ph. No.	Signature
I.	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member		
2.	Smt. Alka Tiwari, Secretary		
3.	Shri K. Touthang, Joint Secretary		
4.	Mrs. Miranda Ingudam, Director		
5.	Shri R.S. Misra, Research Officer		
6.	Shri P.K. Parida, PS to Hon'ble Member		
7.			
II.	**Officers of Govt. of Rajasthan**		
	Name & Designation	**Address & Ph. No.**	**Signature**
1	Smita Shrivastava ADGP(CR)	9928221111	[signature]
2	HEMANT KR. GERA PR SECY DOP	9928230000	[signature]
3	KUNJI LAL MEENA Pr. Secy UDH	9414080525	[signature]
4	ANAND KR. Pr. Secy, Home	9414055055	[signature]
5	Aparna Arora ACS [illegible]		[signature]
6	Shivangi Swarnkar, Commissioner MNREGA	8890000553	[signature]
7			
8			
9			
10			
11			
12			

दिनांक 23.03.2023 को माननीय हर्ष चौहान, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों का उपस्थिति विवरण :–

क0स0	नाम अधिकारी एवं पदनाम	विभाग का नाम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	Kana Ram	Commissioner Agriculture	7023854342	[signature]
2	Sunil Sharma	Commissioner College Education	9829015899	[signature]
3	Pukhraj Sen	Comm. Food Safety & Drug Control	9414325943	[signature]
4.	VINESH SINGHVI	Joint Secy., Plannning Deptt.	9414055134	[signature]
5	Dr. Anand Sejra	Addl. Director Animal Husbandry	9413748574	[signature]
6.	Sita Ram Jat	Director Agric Marketing	9001566945	[signature]
7.	Gaurav Agrawal	Dir. Sec. Edn	7568597500	[signature]
8.	P.S. Meena	Deptt of Mines & Geology	9413035875	[signature]
9.	Artika Shukla	JS, Dept of Energy	7311130030	[signature]
10.	Shivangi Swarnkar	Commissioner, MNREGA	8890000553	[signature]
11.	Naveen Jain	Secy, P.R.	9413631010	[signature]
12.	Dr. Samit Sharma.	Secy SJED	9828596446	[signature]
13.	Dr Joga Ram	Secy LSG	94149-83029	[signature]
13.	Dr. Murali Lal	OSD, Forest & Env.	9414829109	[signature]
14	Naresh Goklani	DS, L&E	9358520465	[signature]